



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18877 वर्ष 2025

श्रीमती सीमा तिवारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमित सक्सेना, प्रतिमा पांडेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित सक्सेना तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बार के समक्ष यह कथन किया कि वह आवश्यक निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं तथा वाद पर बहस करने की स्थिति में हैं और वह कोई शपथपत्र दाखिल करना प्रस्तावित नहीं करते हैं तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही याचिका का निर्णय किया जाए। पक्षकारों की सहमति से इस चरण पर ही याचिका का निस्तारण किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उसे वाणिज्य कर विभाग में लिपिक के पद पर दिनांक 04.08.1990 को नियुक्त किया गया था तथा उसे दिनांक 24.06.2020 को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। जब याचिकाकर्ता दिनांक 05.12.2023 को वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में कार्यरत था, तब एम/एस विजय ट्रेडर्स द्वारा वस्तु एवं सेवा कर प्रदान किए जाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 06.12.2023 को सहायक आयुक्त, खंड-08, बरेली द्वारा वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण प्रदान किया गया तथा याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 19.12.2023 को निरीक्षण किया गया, जिसमें कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं पाई गई। तत्पश्चात अनुशासन अनुभाग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा दिनांक 15.07.2024 को निरीक्षण किया गया तथा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि व्यापार स्थल पर कोई व्यवसाय संचालित नहीं हो रहा था तथा फर्म अस्तित्वहीन पाई गई। इसके पश्चात याचिकाकर्ता को दिनांक 20.11.2025 को निलंबित कर दिया गया।

4. निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि सरकार को याचिकाकर्ता के कारण किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। कारण बताओ सूचना निर्गत करना तथा वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण निरस्त करना सहायक आयुक्त का दायित्व था। यह भी निवेदन किया गया कि स्वयं प्रत्यर्थियों की दिनांक 15.02.2025 की एक आख्या उपलब्ध है, जिसमें वित्तीय हानि का आरोप सहायक आयुक्त पर आरोपित किया गया है, न कि याचिकाकर्ता पर। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि दिनांक 20.12.2025 को याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र निर्गत कर तामील कराया गया है, जिसके प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया जा चुका है।
6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि जो भी हो, आरोप-पत्र तामील किया जा चुका है तथा याचिकाकर्ता अपना उत्तर प्रस्तुत कर चुका है, अतः आरोपों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
7. बार के समक्ष प्रस्तुत निवेदनों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
8. प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता, जो वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यरत था, को इस आरोप के संबंध में निलंबित किया गया है कि उसने यह गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि फर्म अस्तित्व में है, जबकि वह अस्तित्व में नहीं थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह न्यायालय आरोपों के गुण-दोष में प्रवेश करने का अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वे परीक्षण का विषय हैं। चूँकि आरोप-पत्र पहले ही निर्गत किया जा चुका है तथा याचिकाकर्ता द्वारा उसका उत्तर प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः याचिका का निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारण किया जाता है—

(क) अनुशासनिक प्राधिकारी, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण करेगा; (ख) याचिकाकर्ता जाँच की कार्यवाही के निष्पादन में सहयोग करेगा; (ग) याचिकाकर्ता को देय एवं अनुमन्य निर्वाह भत्ता का भुगतान किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाएगा; (घ) यदि तीन माह की अवधि के भीतर, याचिकाकर्ता की किसी त्रुटि के बिना, जाँच पूर्ण नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता के लिए पुनःस्थापन हेतु इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना खुला रहेगा।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन कि यदि आरोपों को प्रथम दृष्टया स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी कोई प्रमुख दण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता, इस स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इस पर विचार कार्यवाही के परिणाम के चरण पर विधिवत किया जाएगा।

10. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

11. आज प्रस्तुत निर्देश अभिलेख पर ग्रहण किए जाते हैं तथा परिशिष्ट 'अ' के रूप में अंकित किए जाते हैं।

19 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।